



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : 08.09.2025

आदेश पारित किया गया: 23.09.2025

दाण्डिक अपील सं 1121/2014

1 - शंकर यादव पिता रतुराम यादव, 52 वर्ष, निवासी ग्राम रागरा सरायपानी, पुलिस थाना बागीचा, जिलाजशपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना बागीचा के द्वारा, जिलाजशपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी हेतु :--श्री आर्यन मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य हेतु :--श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता

(युगल पीठ)

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी.ए.वी निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार



1. इस अपील में दिनांक 14.10.2014 को विशेष प्रकरण संख्या 09/2014 में पारित दोषसिद्धि और दंड के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, जशपुर, जिला – जशपुर (सी.जी.) ने अपीलकर्ता को निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है:

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (के)	14 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा . 376 (2) (एन)	14 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 323	6 महीने का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (II)	2 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
टिपणी: समस्त दंड एक साथ चलेगीं।	

2. इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य यह हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला पीड़िता द्वारा 18.06.2013 को दर्ज कराये गये परिवाद पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने दो अलग-अलग मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया। पहली घटना कथित तौर पर जनवरी 2013 में घटी, जब पीड़िता अपीलकर्ता के घर पर काम कर रही थी और दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा रही थी। पीड़िता के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए भेजा और उसे अपने साथ अकेला छोड़ दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात अपने पति या किसी और को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। इस धमकी के कारण पीड़िता ने घटना की सूचना तुरंत नहीं दी। दूसरी घटना 16.08.2013 को सुबह लगभग 5:00 बजे घटी। पीड़िता सोलगारी पहाड़ी के नीचे महुआ (एक प्रकार का फूल) तोड़ रही थी। आरोपी कथित तौर पर सुबह लगभग 7:00 बजे वहाँ पहुँचा और उससे पूछा कि उसने पिछली घटना अपने पति को क्यों बताई थी। इसके बाद उसने उसे हाथों और डंडे से पीटा, जिससे उसे चोटें आईं। आरोप है कि पीड़िता के प्रतिरोध के बावजूद अपीलकर्ता ने दोबारा बलात्कार किया। इस हमले के परिणामस्वरूप, उसे जांघ, घुटने के पास, गाल, बाएं हाथ की कोहनी और पीठ पर चोटें आईं। अपीलकर्ता के भाग जाने के बाद, पीड़िता घर लौटी और अपने पति को घटना के बारे में बताया। उसके पति ने उसे पुलिस थाना तक पहुंचाया, जहां 18.06.2013 को शाम लगभग 7:45 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उपर्युक्त अपराधों के तहत प्रकरण संख्या 98/2013 के रूप में दर्ज किया गया।



3. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में 12 साक्षियों से परीक्षा की और 17 दस्तावेज पेश किए, जबकि अपीलकर्ता ने अपने बचाव में केवल 1 साक्षी से परीक्षा की। हालाँकि, अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, और अभियोजन पक्ष का प्रकरण मुख्य रूप से पीड़िता का कथन और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।

4. विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों और कथनों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे कारावास का दंड पारित किया गया। अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील में इस दोषसिद्धि और दंड को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए बचाव में संभवतः प्रत्यक्ष साक्ष्यों की कमी, पीड़िता के कथन में विसंगतियों और झूठेफँसाने के संभावित उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। अपील में दोषसिद्धि और दंड को रद्द करने की मांग की गई है, यह दावा करते हुए कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि की दृष्टि से मान्य नहीं था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई विसंगतियाँ और महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जो दोषसिद्धि को अस्थिर बनाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलात्कार की पहली कथित घटना जनवरी 2013 में घटी, जब पीड़िता प्लास्टरिंग से संबंधित मजदूरी के काम के लिए अपीलकर्ता के घर गई थी। हालाँकि, इस गंभीर आरोप के बावजूद, पीड़िता ने लगभग छह महीने की लंबी अवधि तक अपने पति सहित किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। इस दौरान, अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच कथित प्रेम संबंध की अफवाहें गांव में फैलने लगीं। इन अफवाहों के कारण पीड़िता का पति अपीलकर्ता के प्रति संदिग्ध और शत्रुतापूर्ण हो गया। जैसा कि शंकर राम यादव (डी. डब्ल्यू.-1) ने अपने मुख्य बयान में स्पष्ट रूप से कहा है, पति ने ग्रामीणों के सामने पीड़िता पर सार्वजनिक रूप से हमला किया, जो इन अफवाहों के कारण परिवार और समाज में मचे भीषण उथल-पुथल को दर्शाता है। घरेलू हिंसा की इस घटना के बाद ही पीड़िता के पति ने 18.06.2013 को अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पूरा प्रकरण अपीलकर्ता को झूठे आपराधिक प्रकरण में फँसाने के आशय से गढ़ा गया था, जो अफवाहों और पति के गुस्से से प्रेरित था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान पर उचित ध्यान न देकर गलती की। अपने बयान में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़िता का पति उसके अवैध संबंध की गांव में फैली अफवाहों के कारण उससे द्वेष रखता था और झूठा प्रकरण बनाकर बदला लेना चाहता था। बचाव पक्ष के इस बयान की पुष्टि शंकर राम यादव (डी. डब्ल्यू.-01) ने की है, जिनके बयान से पीड़िता के परिवार के भीतर मौजूद दुश्मनी और साथ ही गांव के हैंडपंप के पास उसके पति द्वारा लकड़ी के डंडे से सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह साक्ष्य अभियोजन पक्ष के इस दावे को काफी विस्तार तक कमजोर करता है कि पीड़िता को लगी चोटें अपीलकर्ता द्वारा पहुंचाई गई थीं, बल्कि यह साबित करता है कि चोटें पति द्वारा किए गए हमले के कारण लगी थीं।

6. यह भी बताया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य की भी गहन परीक्षा की गई थी। पीडब्ल्यू-06, डॉ. श्रीमती वी. बखला, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण की थी, के बयान के कंडिका 2, 3 और 5 में यह संकेत मिलता है कि जबरदस्ती यौन संबंध के संबंध में उनकी राय काफी हद तक बाहरी चोटों पर



आधारित थी, न कि किसी निश्चित आंतरिक परिक्षण के निष्कर्षों पर। इससे बलात्कार के आरोप का समर्थन करने वाले चिकित्सा साक्ष्य की निर्णायकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि केवल बाहरी चोटें ही गैर-सहमति से यौन संबंध को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, कथित साक्ष्य को जब्त करने के लिए जिम्मेदार अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने विरोधाभासी और अविश्वसनीय बयान प्रस्तुत किया। सुखनाथ भगत (पीडब्लू-01) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा जब्त की गई लकड़ी की छड़ी एक आम घरेलू वस्तु थी जो कहीं भी आसानी से मिल जाती है और अपीलकर्ता से विशेष रूप से जुड़ी हुई कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी, पीडब्लू-11 के निर्देश पर ही जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी/1) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे उनके इस कार्य की प्रामाणिकता और स्वैच्छिकता पर संदेह पैदा होता है। इसी प्रकार, नकुल साय (पीडब्लू-02) ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता के कब्जे से लकड़ी की छड़ी जब्त होते हुए नहीं देखा था और न ही उन्होंने यह देखा था कि महिला कांस्टेबल पीडब्लू-04 ने पीडब्लू-11 को कौन सी वस्तुएं सौंपी थीं। इन विसंगतियों से प्रदर्श पी/1 की वैधता तथा प्रकरण से इसकी प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आधार कमजोर हो जाते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के प्रकरण में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है। रिपोर्ट में अभियोक्ता के जब्त किए गए कपड़ों पर किसके वीर्य के निशान पाए गए, इस बारे में अस्पष्टता और गैर-विशिष्टता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता से तुलनात्मक डीएनए विश्लेषण के लिए कोई भी कपड़ा या जैविक नमूना जब्त करने का प्रयास नहीं किया था। इस स्पष्ट चूक का अर्थ है कि एफएसएल रिपोर्ट अपीलकर्ता को पाए गए वीर्य के धब्बों से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ सकती है, जिससे फॉरेंसिक निष्कर्षों का साक्ष्य महत्व गंभीर रूप से कम हो जाता है। अभियोक्ता ने स्वयं अपने बयान के कंडिका 19 में स्वीकार किया है कि उसने 17.06.2013 को, एफआईआर दर्ज होने से ठीक एक दिन पहले, अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह स्वीकारोक्ति उसके कपड़ों पर वीर्य की उपस्थिति के लिए एक संभावित वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है, जिसे पति और अपीलकर्ता के आनुवंशिक पदार्थों के बीच अंतर करने के लिए डीएनए परीक्षण की अनुपस्थिति से और भी बल मिलता है। इन स्पष्ट विसंगतियों, विरोधाभासों और साक्ष्यों की कमियों को देखते हुए, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। एफआईआर दर्ज करने में देरी, अफवाहों और घरेलू झगड़ों के आधार पर अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का उद्देश्य, संदिग्ध चिकित्सा साक्ष्य, अभियोजन पक्ष के साक्षियों की अविश्वसनीय जब्ती और गवाहियाँ, और अनिर्णायक फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सभी मिलकर अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण में ये कमियाँ गंभीर हैं और इसलिए अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंड और दोषसिद्धि न्याय के हित में अपास्त किए जाने के योग्य है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का विरोध करते हुए यह निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि का निर्णय तर्कसंगत है, जो पीड़िता के सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है, जिसे चिकित्सा साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण और घटनाक्रम द्वारा समर्थित किया गया है, और ये सभी तथ्य अपीलकर्ता के अपराध को संदेह से परे साबित करते हैं। अपराधिक न्यायशास्त्र में यह



सर्वविदित है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष गवाहों की अनुपस्थिति में भी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता ने स्पष्ट और सुसंगत रूप से बताया है कि कैसे उत्तरवादी ने दो अलग-अलग मौकों पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पहली घटना जनवरी 2013 में उत्तरवादी के घर पर हुई, जब वह मजदूरी कर रही थी, और दूसरी घटना 16 अगस्त 2013 को सोलगारी पहाड़ी पर महुआ इकट्ठा करते समय हुई। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने में विलंब का कारण बताते हुए कहा कि उत्तरवादी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी यदि उसने घटना का खुलासा किसी को किया था। उसका भय और उसकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब को उचित ठहराती हैं, जिसे कठोर या यांत्रिक तरीके से उसके विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। यह भी निवेदन किया जाता है कि कथित प्रेम प्रसंग के बारे में गाँव की अफवाहों के कारण झूठे फँसाए जाने का बचाव पक्ष का सिद्धांत न केवल अनुमान पर आधारित है, बल्कि बाद में गढ़ा गया प्रतीत होता है। बचाव पक्ष यह समझाने में विफल रहा है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली विवाहित महिला पीड़िता, आरोपों के सत्य न होने पर, चिकित्सा जांच, सामाजिक कलंक और प्रतिपरीक्षा के आघात को क्यों सहन करेगी। यह सुझाव कि पीड़िता के पति ने बदले की भावना से पूरा प्रकरण गढ़ा है, किसी ठोस सबूत से समर्थित नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए शंकर राम यादव (डी. डब्ल्यू-1) के बयान से यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होता है कि पीड़िता को लगी चोटें उसके पति के कारण थीं। घरेलू हिंसा की ऐसी घटना घटी भी हो, तो भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीड़िता पर अपीलकर्ता द्वारा हमला किया गया हो, विशेषकर तब जब उसने दोनों यौन हमलों का स्पष्ट और विस्तृत विवरण दिया है, जो चिकित्सा निष्कर्षों द्वारा समर्थित है। चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि डॉ. श्रीमती वी. बखला (पीडब्लू-06) ने पीड़िता के शरीर पर कई चोटों की पुष्टि की है, जिनमें जांघ, घुटने के पास, गाल, कोहनी और पीठ जैसे संवेदनशील अंग भी शामिल हैं। यद्यपि यह सही है कि डॉक्टर की जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की राय बाहरी चोटों पर आधारित थी, लेकिन ये चोटें पीड़िता द्वारा बताए गए प्रतिरोध और बल प्रयोग के विवरण से मेल खाती हैं। विलंब से रिपोर्ट किए जाने के मामलों में, आंतरिक चोटें दिखाई नहीं दे सकती हैं, और ऐसे निष्कर्षों की अनुपस्थिति को पीड़िता के बयान पर अविश्वास का आधार नहीं माना जा सकता है। लकड़ी के डंडे (डंडे) की जब्ती पर बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए हमले और जब्ती प्रक्रिया में विसंगतियां मामूली प्रक्रियात्मक चूक हैं जो मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं। भले ही लाठी एक आम वस्तु थी, फिर भी साक्ष्य के तौर पर उसका महत्व अतिरिक्त है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण केवल लाठी की जब्ती पर निर्भर नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से पीड़िता के बयान और उसकी चिकित्सा जांच के दौरान दर्ज की गई चोटों पर आधारित है। सुखनाथ भगत (पीडब्लू-01) और नकुल साय (पीडब्लू-02) के बयानों में जब्ती के संबंध में कथित विरोधाभास इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज कर दिया जाए। ये मामूली विसंगतियां हैं जो किसी भी विचारण में स्वाभाविक हैं और वास्तव में, यह दर्शाती हैं कि साक्षियों को सिखाया-पढ़ाया नहीं गया था, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता मिलती है। जहां तक एफएसएल रिपोर्ट का प्रश्न है, यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि रिपोर्ट में वीर्य के स्रोत की विशेष रूप से पहचान नहीं की गई है, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुपस्थिति अपने आप में अभियोक्ता के बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाती है। तुलना के लिए आरोपी के जैविक नमूने प्राप्त करने में हुई चूक, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है,



लेकिन मौखिक और चिकित्सा साक्ष्यों की निरंतरता के सामने निर्णायक नहीं है। अभियोक्ता का यह बयान कि उसने एफआईआर से एक रात पहले अपने पति के साथ संबंध बनाए थे, उसके पति से वीर्य स्थानांतरण की संभावना को जन्म दे सकता है, लेकिन यह 16.08.2013 की सुबह हुए बलात्कार की घटना को खारिज नहीं करता है, जिसके साथ शारीरिक चोटें भी थीं जो स्वतंत्र रूप से उसके बयान की पुष्टि करती हैं। डीएनए विश्लेषण के माध्यम से वीर्य को अपीलकर्ता से न जोड़ पाना निर्दोषता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, विशेष रूप से तब जब अन्य साक्ष्य आरोपों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

8. यह भी ध्यान देने योग्य है कि विचारण विचारण को विचारण के दौरान अभियोक्ता और अन्य साक्षियों के व्यवहार को देखने का लाभ मिला था, और साक्ष्यों का गहन मूल्यांकन करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष पर अविश्वास जताने और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के विस्तृत कारण बताए हैं, और केवल इसलिए कि सैद्धांतिक रूप से कोई दूसरा दृष्टिकोण संभव हो सकता है, अपीलीय न्यायालय को तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि वे विकृत या पूरी तरह से अस्थिर साबित न हों, जो कि इस मामले में नहीं है। अंततः, यह निवेदन किया जाता है कि एफआईआर में विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है; पीड़िता का बयान स्पष्ट, सुसंगत और ठोस है; और चिकित्सा एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके बयान का समर्थन करते हैं। बचाव पक्ष झूठे आरोप के लिए कोई विश्वसनीय उद्देश्य साबित करने में विफल रहा है, और उजागर किए गए मामूली विरोधाभास अभियोजन पक्ष के प्रकरण की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंड का निर्णय वैध, न्यायसंगत और ठोस तर्क पर आधारित है, और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को पूर्णतः खारिज कर दिया जाए।

9. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

10. पीड़िता (पीडब्लू-7) ने बलात्कार की दो घटनाओं के बारे में कथन करते हुए कहा कि आरोपी ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उसने दूसरी घटना के दौरान लगी चोटों का वर्णन किया। अन्य बयानों और चिकित्सा साक्ष्यों से उसके कथन की पुष्टि होती है। उसने आरोपी की पहचान अपराधी के रूप में की और उसके द्वारा दी गई धमकियों का वर्णन किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान न्यायालय में दी गई उसके कथन का समर्थन करता है। उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान घटनाओं के अपने विवरण पर कायम रहते हुए अपने कथन को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने उसके कथन को विश्वसनीय पाया गया। पुष्पम राम (पीडब्लू-4) पीड़िता का पति है, जिसने उसके कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने उसे घटनाओं के बारे में सूचित किया था। उन्होंने कथन दिया है कि वे परिवाद दर्ज कराने के लिए पीड़िता के साथ गए थे और दूसरी घटना के बाद उन्होंने पीड़िता को लगी चोटों को देखा था। उनके कथन अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन करती हैं। उन्होंने घटना के बाद पीड़िता की हालत और पीड़िता द्वारा उन्हें बताई गई बातों का वर्णन किया। उनका साक्ष्य पीड़िता के बयान की पुष्टि करती है। उन्होंने प्रतिपरीक्षा के दौरान अपने बयान की पुष्टि की। परमानंद राम (पीडब्लू-9), इस साक्षी ने पीड़िता के बयान का समर्थन किया और घटनाओं के बारे में उसके कथन की पुष्टि की। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता ने



18.06.2013 से पहले किसी भी अपराध के बारे में कभी खुलासा नहीं किया था। डॉ. वी. बखला (पीडब्लू-6) चिकित्सक हैं जिन्होंने पीड़िता को लगी चोटों के बारे में बताया है, जो कथित हमले के अनुरूप थीं। डॉक्टर का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन करता है। डॉक्टर ने पीड़ित की चोटों का विस्तृत वर्णन किया। डॉक्टर का बयान हमले के पीड़ित के बयान की पुष्टि करती है। चोटों की प्रकृति स्थापित करने में चिकित्सा साक्ष्य महत्वपूर्ण है। आरोपी की जांच करने वाले डॉक्टर मिथिलेश मिंज (पीडब्लू-10) ने कृन किया गया है कि वह अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम था। अन्वेषण में डॉक्टर के साक्ष्य सुसंगत हैं। डॉक्टर का कथन अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा है। मामले का मूल्यांकन करते समय न्यायालय ने डॉक्टर के साक्ष्य पर विचार किया। अन्वेषण अधिकारी आर.एस. मरावी (पीडब्लू-11) ने साक्ष्य एकत्र करने और घटनास्थल का नक्शा तैयार करने के बारे में बयान दिया। अन्वेषण प्रक्रिया को स्थापित करने में अधिकारी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। अधिकारी ने अपराध स्थल और एकत्र किए गए साक्ष्यों का वर्णन किया। पुलिस उपाधीक्षक लारंग राम (पीडब्लू-12) ने अन्वेषण की निगरानी करने के बारे में बयान दिया गया। उचित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने में अधिकारी का साक्ष्य सुसंगत है।

11. शंकर राम यादव (डी. डब्ल्यू1) को बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में परीक्षा कि जाती है , जिन्होंने पिछले वर्ष जून में हुई एक घटना का विस्तृत विवरण दिया, जिसे उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था। साक्षी के अनुसार, वह सराय पानी (रागरा) गाँव गए थे, जहाँ उन्होंने पीड़िता विमला बाई के पति पुष्टम राम को आरोपी के घर के पास स्थित हैंडपंप पर आते देखा। साक्षी ने आरोप लगाया कि पुष्टम ने विमला का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में लाठी थी। साक्षी ने दावा किया कि पुष्टम ने फिर विमला को लाठी से तीन-चार बार मारा, और उन्होंने, रेनकु राम और पुष्टम के भतीजे कृष्णा ने बीच-बचाव करते हुए पुष्टम से पूछा कि वह विमला को वहाँ क्यों पीट रहा है और उसे घर ले जाने का सुझाव दिया। साक्षी ने बताया कि पुष्टम विमला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। यह कथन आरोपी के झूठे फँसाए जाने के दावे का समर्थन करती है।

12. अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच से यह पता चलता है कि बलात्कार की पहली कथित घटना जनवरी 2013 में घटी थी, फिर भी 18.06.2013 तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, अर्थात् लगभग छह महीने की अस्पष्ट विलंब के बाद। पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसने इस लंबी अवधि के दौरान घटना के बारे में अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं बताया। इसके बाद, 16.06.2013 को एक दूसरी कथित घटना घटी, जिसे विलंबित एफआईआर को उचित ठहराने के लिए कहानी में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इससे आरोपों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। अभिलेख से स्पष्ट है कि दूसरी घटना मनगढ़ंत थी, जिसे अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच प्रेम प्रसंग की अफवाहों से उपजे घरेलू विवाद के बाद जोड़ा गया था।

13. यद्यपि विधि में यह सर्वविदित है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि केवल पीड़िता के बयान पर आधारित हो सकती है, फिर भी स्थापित कानूनी स्थिति यह भी मांग करती है कि ऐसा बयान न्यायालय का विश्वास जगाने वाला और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजक के बयान में निरंतरता, स्वाभाविकता तथा सहजता का अभाव है। इसके अलावा, उसके पति (पीडब्लू-08), जिसे उसने घटना के बारे में सूचित करने का दावा किया था, ने यह नहीं बताया कि दूसरी घटना से पहले पहली घटना के बारे में उसे कभी बताया गया था।



पति के भाई परमानंद राम (पीडब्लू-09) ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़िता ने 18.06.2013 से पहले इस तरह की कोई बात कभी नहीं बताई थी।

14. बचाव पक्ष ने झूठे आरोप की ओर इशारा करते हुए ठोस सबूत पेश किए हैं। डी. डब्ल्यू-1 शंकर राम यादव, जो एक स्वाभाविक और स्वतंत्र साक्षी हैं, के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफआईआर दर्ज होने से कुछ ही दिन पहले पीड़िता को उसके पति ने गांव के हैंडपंप के पास लाठी से पीटा था। यह महत्वपूर्ण कथन बताता है कि आरोपी को लगी चोटें संभवतः सार्वजनिक झगड़े के दौरान उसके पति द्वारा पहुंचाई गई थीं, न कि अपीलकर्ता द्वारा। झूठे आरोप लगाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच अवैध संबंध की गांव में फैली अफवाहों से उपजा है, जिसके कारण घरेलू कलह हुई और अंततः प्रतिशोध के रूप में परिवाद दर्ज कराई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने सार्वजनिक अपमान और शारीरिक हमले का सामना करने के बाद अपने पति के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। कई महीनों तक जनवरी 2013 की कथित घटना को अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को न बताने से उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। ऐसी स्थिति में, पहले हुए अपराध की जानकारी न देना, साथ ही अचानक और विलंबित खुलासा, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में (2015) 7 एससीसी 272 में यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के लिए दोषसिद्धि केवल पीड़िता के कथन पर आधारित हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब उसके बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो और विश्वास जगाती हो। चूंकि इस प्रकरण में पीड़िता का बयान असंगत और अपुष्ट था, इसलिए न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। सुसंगत कंडिका निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

29. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोक्ता के कथन के आधार पर, यदि वह निर्विवाद और दोषरहित है, तो दोषसिद्धि की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में, विचारण करने वाले विद्वान न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने साक्षी के कथन की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को समझे बिना इस सिद्धांत को नकार दिया है। वास्तव में, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आक्षेपित निर्णय [आपराधिक अपील संख्या 602/2006, दिनांक 25-3-2009 (अल्लाह)] में जो भी विश्लेषण किया गया हो, वह केवल दृष्टिकोण की अनुचितता को ही इंगित करता है। पीड़िता ने बयान दिया है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और लगभग दो महीनों तक विभिन्न घरों में रखा गया। उसके द्वारा दी गई एकमात्र व्याख्या यह है कि उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा धमकाया गया था। उसके बयान में यह नहीं है कि उसे एक ही स्थान पर कैद रखा गया था। वास्तव में, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से यह सिद्ध हुआ है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई थी और उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया था। इन परिस्थितियों में, चिकित्सासाक्ष्य का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह बयान दिया है कि निजी अंगों पर कोई चोट नहीं है। एफआईआर में देरी, साक्षी की जांच न होना, पीड़िता के कथन, संबंधित परिस्थितियां और चिकित्सा साक्ष्य, पीड़िता के कथन को इतना स्वाभाविक और सत्य



मानने में संदेह पैदा करते हैं किपीड़िता की गवाही पर भरोसा किया जा सके। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है किपीड़िता की कथन ऐसी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके।"

16. चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्य के संबंध में, डॉ. श्रीमती वी. बखला (पी डब्लू-06) ने कहा है कि जबरदस्ती यौन संबंध के संबंध में उनकी राय बाहरी चोटों पर आधारित थी, और बलात्कार के आरोप का समर्थन करने वाले कोई निर्णायक आंतरिक निष्कर्ष नहीं थे। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट में केवल पीड़िता के कपड़ों पर वीर्य और शुक्राणु की उपस्थिति का उल्लेख है, लेकिन अपीलकर्ता का कोई जैविक नमूना या कपड़े जब्त नहीं किए गए, और न ही डीएनए परीक्षण किया गया था। पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया कि एफआईआर दर्ज कराने से एक रात पहले उसने अपने पति के साथ यौन संबंध बनाए थे, जिससे वीर्य के स्रोत पर संदेह पैदा होता है। अतः, डीएनए प्रोफाइलिंग के अभाव में वीर्य को आरोपी से न जोड़ पाना अभियोजन पक्ष के मामले में एक महत्वपूर्ण खामी है।

17. कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, जिसका उल्लेख (2011) 7 एससीसी 130 में किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पीड़िता और आरोपी के कपड़ों पर पाया गया पुरुष वीर्य चिकित्सकीय रूप से यौन संबंध बनाने में सक्षम था, लेकिन आरोपी को निर्णायक रूप से जोड़ने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया, जो अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है। दंड प्रक्रिया संहिता (2006) में धारा 53-ए के शामिल होने के बाद, ऐसे मामलों में निर्णायक सबूत प्रदान करने के लिए डीएनए परीक्षण अनिवार्य है, और ऐसा न करने पर अभियोजन पक्ष को प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ता है। अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"40. अपीलकर्ता की डॉक्टर द्वारा भी जांच की गई थी, जिसने उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया था। पीड़िता के अंतर्वस्त्रों में पुरुष वीर्य पाया गया था, लेकिन इन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था, जिससे अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में बिना किसी संदेह के निर्णायक रूप से सिद्ध हो सकता था। अभियोजन पक्ष की यह चूक घातक साबित होती है और अपीलकर्ता के पक्ष में जाती है।"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44. अब, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 53-ए को 23-6-2006 से शामिल किए जाने के बाद, जैसा कि प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए इस प्रकार के मामलों में डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध अपना प्रकरण साबित करने में सहायता मिलती है। 2006 से पहले, सीआरपीसी में उपर्युक्त विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी अभियोजन पक्ष डीएनए परीक्षण या विश्लेषण कराने और अपीलकर्ता के वीर्य का मिलान अभियोक्ता के अंतर्वस्त्रों पर पाए गए वीर्य से करके मामले को पुख्ता बना सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।"

18. ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने मामले के समग्र संदर्भ, विरोधाभासों और साक्ष्य संबंधी कमियों को ध्यान में रखे बिना, केवल अभियोक्ता की गवाही को ही पर्याप्त मानकर कार्यवाही की है। स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए, यदि अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्पष्टता और सुसंगतता के साथ साबित करने में विफल रहता है। इस मामले में अभियोजन पक्ष इस दायित्व को निभाने में विफल रहा है।



19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, (2022) 2 एससीसी 74 में निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया :8. गणेशन [गणेशन बनाम राज्य, (2020) 10 एससीसी 573 :(2021) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 76] में, इस न्यायालय ने यह देखा और अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता/अभियोक्ता की एकमात्र बयान के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है जब अभियोक्ता का बयान विश्वसनीय, त्रुटिरहित, विश्वसनीय पाया जाता है और उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को अभियोक्ता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से संबंधित इस न्यायालय के निर्णयों की शृंखला पर विचार करने का अवसर मिला। कंडिका 10.1 से 10.3 में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि: (गणेशन प्रकरण [गणेशन बनाम राज्य, (2020) 10 एससीसी 573 :(2021) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 76] , एससीसी पृ. 578-82)

“ 10.1. क्या यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामले में, पीड़िता के मात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है? विजय मामले में [विजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191 :(2010) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 639] कंडिका 9 से 14 में यह टिप्पणी की गई है: (एससीसी पृष्ठ 195-98)

‘9. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एससीसी 550 :1990 एससीसी (क्रिमिनल) 210] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अपराध में सह-अपराधी नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की वासना की शिकार है, और इसलिए उसके साक्ष्य को सह-अपराधी के साक्ष्य के समान संदेह के साथ जांचने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 559, कंडिका 16)

“16. यौन अपराध की पीड़िता को सह-अपराधी के बराबर नहीं माना जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों में पुष्ट न हो।” वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी पीड़ित के साक्ष्य को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी किसी पीड़ित परिवादी या साक्षी के मामले में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं। न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रही है जिसका उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हित है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से संतुष्ट है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई विधि या प्रथा नहीं है जो उसे पुष्टि की तलाश करने के लिए बाध्य करती हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्ता की गवाही पर पूर्णतः भरोसा करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा उसके बयान को पुष्ट कर सके। अभियोक्ता के कथन को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन यदि अभियोक्ता वयस्क और पूर्ण रूप से समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने का हकदार है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि साक्ष्य कमजोर और अविश्वसनीय है। यदि प्रकरण के अभिलेख में मौजूद सभी परिस्थितियों से यह पता



चलता है कि अभियोक्ता के पास आरोपी व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस मकसद नहीं है, तो अदालत को आमतौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।"

10. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू, (2005) 3 एससीसी 594 : 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 780] मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि लड़की वेश्यावृत्ति की आदी है या यौन संबंध बनाने की आदी है, तो भी यह आरोपी को बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। यह स्थापित करना होगा कि उस विशेष अवसर हेतु उनकी सहमति थी। पीड़िता के शरीर पर चोट न होना, न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता के बयान के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है और यदि न्यायालय पीड़िता के बयान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य मांग सकती है, जिससे उसके बयान की पुष्टि हो सके। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पी. 597, कंडिका 12)

"12. यह सर्वविदित है कि बलात्कार की शिकार होने की शिकायत करने वाली पीड़िता अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं होती है। ऐसा कोई विधिक नियम नहीं है कि उसके बयान पर महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि के बिना कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वह एक पीड़ित साक्षी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पीड़ित साक्षी के मामले में शारीरिक चोट होती है, जबकि पीड़िता के मामले में शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चोट भी होती है।" हालांकि, यदि तथ्य न्यायालय अभियोक्ता के बयान को सीधे तौर पर स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को पुष्ट करे। सहयोगी के संदर्भ में समझे जाने वाले पुष्टिकरण के अलावा, पुष्टिकरण भी पर्याप्त होगा।"

11. स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह [स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384 : 1996 एससीसी (क्रिमिनल) 316] में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन प्रकरण को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता का बयान दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है और जब तक पुष्टि के लिए कोई ठोस कारण न हो, तब तक इसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए पीड़िता के बयान की कुछ पुष्टियाँ देख सकता है। पीड़िता का बयान पीड़ित साक्षी के बयान से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में विलंब का उचित स्पष्टीकरण न भी दिया जाए, लेकिन यदि यह स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एस. सी. सी. पी. पी. 394-96 और 403, कंडिका 8 और 21) "

8. ... न्यायालय ने उस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जिसमें एक गरीब, असहाय नाबालिग लड़की तीन खतरनाक युवकों के चंगुल में फंस गई थी, जो उसे धमका रहे थे और उसे किसी भी तरह की आवाज उठाने से रोक रहे थे। फिर, यदि अन्वेषण अधिकारी ने उचित अन्वेषण नहीं की या चालक या कार का पता लगाने में लापरवाही



बरती, तो यह पीड़िता के कथन को अविश्वसनीय ठहराने का आधार कैसे बन सकता है? पीड़िता का अन्वेषण एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है। न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी आत्मसम्मानित महिला न्यायालय में केवल इसलिए आगे नहीं आएगी कि वह बलात्कार से जुड़े अपने मान-सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान दे। यौन उत्पीड़न के मामलों में, ऐसे कथित विचार जिनका अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, या पीड़िता के बयान में विसंगतियों को भी, जब तक कि वे विसंगतियां गंभीर प्रकृति की न हों, एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि प्राप्त करना, आमतौर पर, जले पर नमक छिड़कने के समान है। अभियोजक के कथन पर न्यायिक भरोसा करने की शर्त के रूप में पुष्टि विधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का एक मार्गदर्शन है।...

\*\*\*

21. ... न्यायालय को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो निर्णायक प्रकृति की नहीं होतीं, ताकि अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज न किया जा सके। यदि अभियोक्ता का साक्ष्य विश्वास जगाता है, तो उसके बयान के महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश न्यायालय को पीड़िता के कथन पर पूर्णतः भरोसा करना कठिन लगे, तो वह ऐसे साक्ष्य तलाश सकती है जो उसकी गवाही को पुष्ट कर सकें, बशर्ते सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि न हो। अभियोक्ता के कथन को पूरे मामले के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निराकरण करते समय अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत और संवेदनशील होना चाहिए।"

12. उड़ीसा राज्य बनाम ठकरा बेसरा [उड़ीसा राज्य बनाम ठकरा बेसरा, (2002) 9 एससीसी 86 : 2003 एससीसी (क्रिमिनल) 1080] मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को ही अपमानित कर देता है, इसलिए पीड़िता की गवाही को पूरे मामले के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य साक्षियों की जांच न करना भी अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर खामी नहीं मानी जानी चाहिए, विशेषकर तब जब साक्षियों ने अपराध होते हुए न देखा हो।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह, (1993) 2 एससीसी 622 : 1993 एससीसी (क्रिमिनल) 674] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्ता के साक्ष्य की पुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है। साक्ष्य को तौलना पड़ता है तथा गिना नहीं जाता है। यदि अभियोक्ता के कथन विश्वसनीय हो और



उसकी सत्यता के विरुद्ध कोई परिस्थितियाँ न हों, तो केवल उसकी गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार का मत इस न्यायालय ने वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य [वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 2 एससीसी 9 :(2010) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 1208] में दोहराया है, जिसमें रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य [रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, 1951 एससीसी 1213 :एआईआर 1952 एससी 54 : 1952 एससीआर 377] के पूर्व के निर्णय पर भरोसा जताया गया है।

14. अतः, इस मामले पर जो विधि लागू होता है, वह यह है कि यदि अभियोक्ता का बयान विश्वसनीय और प्रामाणिक पाया जाता है, तो उसे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अभियोक्ता के मात्र बयान के आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहरा सकती है।'

10.2. कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य [कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130 :(2011) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 61] मामले में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोक्ता का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वसनीय हो और पूरी तरह से भरोसेमंद, त्रुटिहीन और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो।

10.3. किसे "विश्वसनीय साक्षी" कहा जा सकता है, इस विषय पर इस न्यायालय ने राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) मामले में विचार किया है। कंडिका 22 में यह टिप्पणी और निर्णय दिया गया है कि: (एससीसी पृष्ठ 29)

'22. हमारी राय में, "विश्वसनीय साक्षी" बहुत उच्च गुणवत्ता और योग्यता का होना चाहिए, जिसका बयान इसलिए अकाट्य होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करते समय बिना किसी संकोच के उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए, साक्षी की सामाजिक स्थिति अप्रासंगिक होगी और केवल उसके द्वारा दिए गए बयान की सत्यता ही महत्वपूर्ण होगी। अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि बयान शुरू से अंत तक, अर्थात् साक्षी द्वारा प्रारंभिक बयान देने से लेकर अंततः न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान तक, सुसंगत हो। यह स्वाभाविक और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के पक्ष में प्रस्तुत मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं होना चाहिए। साक्षी को किसी भी अवधि और कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, उसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। उसका बयान बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध करने का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय जैसे सभी सहायक दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए। उक्त बयान अन्य सभी साक्षी के बयानों से सुसंगत रूप से मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी लापता कड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी साक्षी का बयान उपरोक्त कसौटी के साथ-साथ लागू होने वाली अन्य सभी समान कसौटियों पर खरा उतरता है, तभी उसे "विश्वसनीय साक्षी" कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय बिना किसी पुष्टि के स्वीकार कर सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, उक्त



साक्षी का अपराध के मूल पहलुओं पर दिया गया बयान अक्षुण्ण होना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियां, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, उक्त बयान से महत्वपूर्ण विवरणों में मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय मूल बयान पर भरोसा करते हुए अन्य सहायक सामग्रियों की जांच करके अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहरा सके।" (मूल में जोर दिया गया)

9. पंकज चौधरी [राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी, (2019) 11 एससीसी 575 : (2019) 4 एससीसी (क्रिमिनल) 264] में यह देखा तथा अभिनिर्धारित किया जाता है कि सामान्य नियम के अनुसार, यदि गवाही विश्वसनीय हो, तो आरोपी को केवल गवाही के आधार पर, बिना किसी अन्य प्रमाण के, दोषी ठहराया जा सकता है। यह भी देखा तथा अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोक्ता के कथन पर न्यायालय को केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए। कंडिका 29 में यह देखा तथा अभिनिर्धारित किया गया है कि (एस. सी. पी. 587)

"29. अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्ता की एकमात्र कथन पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है यदि वह विश्वास जगाती है। [विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य [विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 एससीसी 283:(2006) 1 एस. सी. पी. (सी. आर. आई.) 217] इस न्यायालय के अनेक निर्णयों से यह बात सर्वविदित है कि ऐसा कोई विधिक नियम या प्रथा नहीं है कि अभियोक्ता के साक्ष्य पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि एक अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि पीड़ित के साक्ष्य में कोई मूलभूत खामी नहीं है और "संभावना कारक" इसे अविश्वसनीय नहीं बनाता है, तो सामान्य नियम के अनुसार, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध होने की उम्मीद की जा सकती है। [राजस्थान राज्य बनाम एन.के. [राजस्थान राज्य बनाम एन.के., (2000) 5 एससीसी 30 :2000 एससीसी (क्रिमिनल) 898]]"

10. शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य [शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 18 एससीसी 34 : (2019) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 129] मामले में यह देखा गया है कि पीड़िता की गवाही अत्यंत महत्वपूर्ण है और जब तक उसके बयान की पुष्टि के लिए कोई ठोस कारण न हो, अदालतों को यौन उत्पीड़न की पीड़िता के कथन के आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके कथन विश्वसनीय हो और उस पर भरोसा किया जा सके। यह भी देखा गया है कि ऐसे मामलों में, पीड़िता के बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की मांग करना, आमतौर पर, जले पर नमक छिड़कने के समान है। कंडिका 6 तथा 7 में, इसे निम्नानुसार देखा तथा अभिनिर्धारित किया गया है: (एस. सी. पी. 37-38)

"6. हम इस बात से अवगत हैं कि बलात्कार के आरोप में किसी आरोपी पर विचारण चलाते समय न्यायालय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निराकरण करना चाहिए।" न्यायालय को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो कि घातक प्रकृति के नहीं हैं, ताकि अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज न किया जा सके। यदि पीड़िता का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत



होता है, तो उसके कथन के महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश न्यायालय को उसके बयान पर पूर्णतः भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य तलाश सकता है जो उसकी गवाही को पुष्ट कर सकें, बशर्ते कि सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि न हो। पीड़िता के बयान को पूरे मामले के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और न्यायालय को यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से जुड़े मामलों का निरकारण करते समय अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत और संवेदनशील होना चाहिए। [देखें -पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एस. सी. सी. 384:1996 एससीसी (सीआरआई) 316] (एससीसी पृष्ठ 403, कंडिका 21)। ]

7. यह बात अब सर्वविदित है कि न्यायालयों को साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी आत्मसम्मानित महिला न्यायालय में केवल इसलिए उपस्थित नहीं होगी कि वह बलात्कार से संबंधित अपने मान-सम्मान पर अपमानजनक बयान दे। यौन उत्पीड़न के मामलों में, ऐसे कथित विचार जिनका अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, या पीड़िता के बयान में विसंगतियों को भी, जब तक कि वे विसंगतियां गंभीर प्रकृति की न हों, एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की स्वाभाविक शर्म और यौन उत्पीड़न के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। "ऐसे मामलों में पीड़िता के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और जब तक कि ऐसे ठोस कारण न हों जिनके लिए उसके बयान की पुष्टि करना आवश्यक हो, न्यायालय को यौन उत्पीड़न की पीड़िता के कथन के आधार पर ही किसी आरोपी को दोषी ठहराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसके कथन विश्वास जगाती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जले पर नमक छिड़कने के समान है। (देखें रणजीत हजारिका बनाम असम राज्य [रणजीत हजारिका बनाम असम राज्य, (1998) 8 एससीसी 635 :1998 एससीसी (क्रिमिनल) 1725] ।)"

20. उपरोक्त चर्चा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंड विधिवत मान्य नहीं है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, और अभिलेख में मौजूद सामग्री झूठे फँसाए जाने की एक संभावित वैकल्पिक परिकल्पना की ओर इशारा करती है।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(k), 376(2)(n), 323 और 506(II) के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंड को एतद्द्वारा अपास्त कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

22. तदनुसार, यह आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

23. यह बताया गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर है। सीआरपीसी की धारा 437-ए के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह सीआरपीसी में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानतदार संबंधित विचारण



न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करे, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दे कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

24. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए तुरंत प्रेषित करे।

सही/-  
(रजनी दुबे)  
न्यायाधीश

सही/-  
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)  
न्यायाधीश



#### हेड-नोट

किसी प्रकरण में दोषसिद्धि केवल पीड़ित या अभियोक्ता के कथन पर आधारित हो सकती है, यदि उसका बयान विश्वसनीय, त्रुटिहीन और उत्कृष्ट गुणवत्ता का पाया जाता है, जिसमें अंतर्निहित विश्वसनीयता होती है।



**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

